प्राथमिकता

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक समस्त
राजकीय चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : 221 /पी0एस0एम0एच0/2019

लखनऊः दिनांक 18,दिसम्बर, 2019

विषय :राजकीय चिकित्सालयों में आयुष्मान लाभार्थियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आरोग्य निधि (आयुष्मान भारत योजना) तथा मुख्यमंत्री आरोग्य निधि योजना का कियान्वयन इस उदेश्य से किया जा रहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी चिकित्सालयों अथवा आबद्ध निजी चिकित्सालय के माध्यम से प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लगभग 1.18 करोड़ परिवारों एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 8.43 लाख परिवार आच्छादित हैं। तत्क्रम में दोनों योजनाओं से लगभग 6.32 करोड़ लाभार्थी आच्छादित हैं, जो प्रदेश की 23.20 करोड़ की अनुमानित आबादी का यह लगभग 27.24 प्रतिशत है।

योजना की समीक्षा में यह पाया गया कि आरम्भ से अब तक लगभग 2.59 लाख लाभार्थियों को इलाज हेतु प्री–ऑथराइजेशन हुआ है जिसमें से सरकारी चिकित्सालय (जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) में मात्र 34,802 लाभार्थियों ने इलाज कराया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में माह अक्टूबर तक जिला चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 57.87 लाख रोगियों को भर्ती करा कर इलाज हुआ है।

उपरोक्त ऑकड़ों से यह संकेत मिलते हैं कि एक बड़ी संख्या में इन योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज कराया, परन्तु विभिन्न कारणों से उनकी लाभार्थी के रूप में पहचान न होने के कारण वह योजना की प्रगति में सम्मिलित नहीं हो सके। फलस्वरूप बड़ी संख्या में इन लाभार्थी का Pre-authorization नहीं हो सका व सम्बंधित चिकित्सालयों को भी इन मरीजों के इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई है।

यह भी प्रकाश में आया है कि जिन राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती होने वाले मरीजों की शत प्रतिशत स्क्रीनिंग करते हुए आयुष्मान लाभार्थियों की पहचान की गई है तथा पृथक आयुष्मान वार्ड स्थापित कर के उनकों बेहतर सुविधा दी गयी है वहॉ उपरोक्त लाभार्थियों की संख्या में सराहनीय प्रगति आयी है।

अतः यह आवश्यक है कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को अधिक से अधिक सरकारी चिकित्सालयों की तरफ आकर्षित किया जाये एवं जो लाभार्थी इलाज हेतु आते हैं उन्हें गोल्डेन कार्ड/प्लास्टिक कार्ड द्वारा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के रूप में पहचान कराने के लिए प्रेरित किया जाये। इस उदेश्य की पूर्ति हेतु निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन विभिन्न आयुष्मान भारत योजना से आबद्ध चिकित्सालयों में आयुष्मान भारत अथवा माननीय मुख्यमंत्री आरोग्य योजना से आच्छादित मरीजों को विशिष्ट सुविधाएं निम्नलिखित प्रकार से दी जाएगीः–

1– ओ0पी0डी0 में पर्चा बनाने के लिए पृथक से एक काउण्टर आयुष्मान भारत/मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए सम्मिलित होगा। इस काउण्टर पर गोल्डेन कार्ड/प्लास्टिक कार्ड दिखाने पर प्राथमिकता से ओ0पी0डी0 स्लिप निर्गत होंगे और अगर लाभार्थी के पास गोल्डेन कार्ड नहीं है तो उसका तत्काल गोल्डेन कार्ड बनवाया जायेगा।

2– इमरजेन्सी/इनडोर भर्ती की पर्ची पर **आयुष्मान लाभार्थी (हाँ/नही)** प्रिन्ट कराया जाये। पहले से उपलब्ध भर्ती की पर्चियों पर **आयुष्मान लाभार्थी (हाँ/नही)** की मोहर लगाई जाये। भर्ती होने वाले प्रत्येक मरीज की अनिवार्य रूप से आयुष्मान भारत के डाटाबेस में स्क्रीनिंग करते हुए लाभार्थी की पहचान की जाये तथा उन्हें योजनान्तर्गत पंजीकृत करते हुए योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाये।

3– योजना के लाभार्थियों के लिए पृथक से वार्ड स्थापित किया जाएगा जो उनके लिए आरक्षित होंगे। पृथक कार्ड का निर्माण रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध धनराशि से किया जा सकेगा जैसा कि कई जिला चिकित्सालय ने अपनी पहल से किया है।

4– चिकित्सालयों में हो रहे विभिन्न प्रकार की जॉचे/डायग्नोसिक्स (पैथॉलॉजी/एक्सरे/अल्ट्रा साउण्ड/सी0टी0 स्कैन) इत्यादि में लाभार्थियों को वरीयता दी जाएगी।

मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उपरोक्त कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायें जिससे कि राजकीय चिकित्सालयों में योजना के अंतर्गत बेहतर भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

भवदीय,

18/12/19

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

पत्रांक : 2210 /पी0एस0एम0एच0/2019 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव